दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

धारा 2, "दहेज" की परिभाषा–इस अधिनियम में दहेज से तात्पर्य है–

(क) विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को, या

(ख) विवाह के किसी भी पक्ष के माता–पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को,

विवाह करने के सम्बन्ध में विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दी जाने वाली या दी जाने के लिए प्रतीज्ञा की गयी किसी सम्पत्ति या मूल्यावान प्रतिभूति से है किन्तु इसमें उन व्यक्तियों की दशा में मैहर नहीं होगा, जिन पर मुस्लिम स्वीय विधि (शरियत) लागू होती है।

धारा–3 दहेज लेने या देने के लिए शास्ति :

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात जो कोई भी दहेज लेता या देता है या लेने के लिए अथवा देने के लिए उकसाता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माने से जो 15000/– रूपये से कम नहीं होगा या ऐसे दहेज के मूल्य की राशि से जो भी अधिक हो से दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय यथोचित और विशेष कारणों के लिए जो निर्णय में अभिलिखित किये जायें पांच वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्ड आरोपित कर सकेगा।

(2) उप–धारा (1) की कोई बात निम्न पर या उनके सम्बन्ध में लागू नहीं होगी–

(क) विवाह के समय वधू को दी गयी भेंटे (इस निमित्त कोई मांग किये गये बिना) परन्तु तब जब ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार बनायी गयी सूची में प्रविष्ट की जाती है।

(ख) विवाह के समय वर को दी गयी भेटें – (इस निमित्त कोई मांग किये गये बिना) परन्तु तब जब ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार बनायी गयी सूची में प्रविष्टि की जाती है।

परन्तु यह और कि जहां ऐसी भेटें वधू द्वारा या उसकी ओर से वधू के किसी सम्बन्धी व्यक्ति द्वारा दी गयी हों, ऐसी भेटें प्रथागत प्रकृति की हों और उनका मूल्य उस व्यक्ति की, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेटें दी गयी हैं, वित्तीय हैसियत को ध्यान में रखते हुए, अत्यधिक नहीं है।

धारा–4 दहेज मांगने के लिए शास्ति–

यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्षः या परोक्षः वर या वधू जैसी भी स्थिति हो के माता–पिता या अन्य रिश्तेदार या अभिभावक से दहेज मांगता है तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रूपयों तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

परन्तु न्यायालय पर्याप्त एवं विशेष कारणों के लिए जो निर्णय में लिखे जायें छः महीने की कालावधि से कम के कारावास का दण्ड दे सकेगा।

धारा– 7 अपराधों का संज्ञान –

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कोई बात अन्तर्विष्ट हो हुए भी –

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायकि मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर न्यायालय नहीं करेगां,

(ख) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय–

(1) स्वयं की जानकारी या ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, या

(11) अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के माता या पिता अथवा अन्य रिश्तेदार द्वारा अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किये गये परिवाद पर,

(ग) किसी महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सिद्ध दोष व्यक्ति पर इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डाज्ञा पारित करना न्याय संगत होगा।

धारा–8 ख, दहेज प्रतिषेध अधिकारी –

(1) राज्य सरकार उतनी संख्या में दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितनी वह उचित समझे और उन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनकी बाबत वे इस अधिनियम के अधीन उनकी अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करें।